

प्ररूप 21 ग

(नियम 64 देखिए)

(साधारण निर्वाचन में उपयोग के लिए, जब स्थान सविरोध हो)

लोक प्रतिनिधित्व अधिनियम, 1951 की धारा 66 के अधीन निर्वाचन परिणाम की घोषणा।

075 वैर (अ.जा.) विधानसभा निर्वाचन क्षेत्र से राजस्थान (राज्य) की विधान सभा के लिए निर्वाचन

निर्वाचनों का संचालन नियम, 1961 के नियम 64 के साथ पठित लोक प्रतिनिधित्व अधिनियम, 1951 की धारा 66 में अन्तर्विष्ट उपबंधों के अनुसरण में, मैं घोषणा करता हूँ कि -

श्री बहादुर सिंह, गाँधी नगर सेवर रोड भरतपुर जो भारतीय जनता पार्टी द्वारा खड़े किए गए हैं। उपर्युक्त निर्वाचन-क्षेत्र से उस सदन में स्थान को भरने के लिए सम्यक् रूप से निर्वाचित हो गए हैं।

स्थान : एम.एस.जे. कॉलेज भरतपुर

दिनांक : 03 दिसम्बर 2023

(ललित मीना)

निर्वाचन अधिकारी

विधानसभा निर्वाचन (अ.जा.) वैर, भरतपुर

उपखण्ड अधिकारी एवं उपखण्ड मजिस्ट्रेट, वैर

# Form 21C

(See rule 64)

*(For use in General Election when seat is contested)*

## **Declaration of the result of Election under section 66 of the Representation of the People Act, 1951**

Election to the Legislative Assembly of **Rajasthan** State from the **075 Weir (S.C.)** Assembly constituency.

In pursuance of the provisions contained in section 66 of the Representation of the People Act, 1951, read with rule 64 of the Conduct of Elections Rules, 1961, I declare that—

**Shri Bahadur Singh, Gandhi Nagar Sevar Road Bharatpur** sponsored by **Bharatiya Janata Party** has been duly elected to fill the seat in that House from the above constituency.

Place : M.S.J. College, Bharatpur

Dated : 03-12-2023

  
(Lalit Meena)

Returning Officer  
075 Weir (S.C.)

Sub Divisional Officer and Sub Divisional Magistrate  
Weir